राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक

राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.)

राजस्थान, जयपुर

संवेदक के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाओं (उपकरण रहित) के उपापन बोली दस्तावेज

(वित्तीय 2025–26 वर्ष के लिए)

ए.वी.एस. बिल्डिंग, जवाहर सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर – 302017
दूरभाष :2545831, 2721520 फैक्स : 2721919

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.04.09 16:46:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14703395

दस्तावेज सारणी

क.सं.	विवरण
01	बोली आमंत्रण सूचना
02	बोली लगाने वालो के लिए अनुदेश
03	बोली डाटाशीट
04	बोली के प्रारूप
05	संविदा की शर्ते
06	संविदा (अनुबंध) प्रारूप
07	अपील
08	अपील का प्रारूप

Signature valid

Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.04.09 16:46:02 IST
Reason: Approved

RUIDP

राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक
राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.)
ए.वी.एस. बिल्डिंग, जवाहर सर्किल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
फोन : 91 141 2721966 फैक्स : 91 141 2721919
ई मेल : mail.ruidp@rajasthan.gov.in वैबसाइट : https://urban.rajasthan.gov.in/ruidp

संख्याः प.4(7)( )आरयूआईडीपी/पीएमयू/स्टोर/2025/468 दिनांकः 09/04/25

(01)

बोली आमंत्रण सूचना/2025–26

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कार्यालय आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर के लिए संवेदक के माध्यम से 08 कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाओं (उपकरण रहित) की आपूर्ति हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित फर्मों से सील बन्द बोलियॉ आमंत्रित की जाती हैं। इसके लिये राज्य सरकार/श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान देय होगा। बोली शर्तों का अवलोकन कार्यालय की वैबसाईट "https://urban.rajasthan.gov.in/ruidp" एवं State Public Procurement Portal "sppp.rajasthan.gov.in" पर किया जा सकता है एवं बोली दस्तावेज को डाउनलोड किये जा सकते है।

बोली निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी। जिसे कार्यालय से 500/– रूपये का भुगतान कर भी प्राप्त किया जा सकेगा अथवा एसपीपीपी पोर्टल से डाउनलोड कर फार्म फीस राशि रूपये 500.00 रूपये की डीडी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। इस राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं किया जावेगा। बोली के साथ रू. 19,100 रुपये (अक्षरे रूपये उन्नीस हजार एक सौ मात्र) की बोली प्रतिभूति राशि बैंक, नकद, बैंकर चैक/ड्राफ्ट जो कि बोली की मूल कालावधि से तीस दिवस अग्रिम तक विधि मान्य हो, के रूप में जमा करानी होगी। बोली प्रपत्र कार्यालय समय में दिनांक 09.04.2025 से दिनांक 21.04.2025 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। बोली प्रपत्र दिनांक 21.04.2025 को सायं 3:00 बजे तक प्राप्त कर एवं दिनांक 21.04.2025 को 3:30 बजे उपस्थित बोलीदाताओ के सम्मुख खोले जायेंगे।

उप परियोजना निदेशक (प्रशा०)

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.04.09 16:46:02 IST
Reason: Approved

बोली लगाने वालो के लिए अनुदेश

(02)

1.	बोली दस्तावेज शुल्क की राशि	रुपये 500/– (अक्षरे पांच सौ रुपये मात्र) नकद रसीद/बैंक ड्राफ्ट
2.	अनुमानित लागत	राज्य सरकार/श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अनुसार, कुल राशि रू. 09,55,000/–मात्र (11 माह हेतु)
3.	बोली प्रतिभूति राशि	लागत का 2 प्रतिशत राशि रू. 19,100/– परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर के पक्ष में देय होगा।

4. पारस्परिक समझौते पर अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। दरों में कमी/वृद्धि श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने के उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
5. बोलीदाता को श्रम विभाग में पंजीकरण के दस्तावेज आदि भी संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही श्रम विभाग की स्वीकृत दरों पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य कार्मिकों की पूर्ति उनकी स्वीकृत दरों (मय स्वयं के सर्विस चार्ज) पर मांग की जा सकती है।
6. बोली की वैधता अवधि 90 दिन के लिए होगी।
7. सफल बोलीदाता को 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन राशि आरटीपीपी रूल्स 2013 के अनुसार जमा करानी होगी। उक्त राशि में बोली प्रतिभूति का समायोजन किया जा सकता है।
8. बोली स्वीकृत कर लिए जाने के बाद यदि बोलीदाता दिए गए समय में कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं (उपकरण रहित) उपलब्ध नहीं करा पाता है या कार्य सम्पादन नहीं करा पाता है तो उसकी बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. श्रम विभाग के नियम उपनियम व अधिसूचनाओं आदि में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व संवेदक फर्म का होगा। पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक फर्म स्वंय उत्तरदायी होगी।
10. बोलीदाता अथवा उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिको को किसी भी रूप में राजकीय सेवा में नियुक्ति पाने के लिये आवेदन अथवा वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही होगा।
11. संवेदक फर्म को पीएफ, ईएसआई, जीएसटी जमा कराने के साक्ष्य आगामी बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पारिश्रमिक भुगतान की जिम्मेदारी संवेदक फर्म की स्वयं की होगी।
12. बोलीदाता बोली स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/हिस्से या सम्पूर्ण कार्य किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा।
13. राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना एवं बोली सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्तें जो बोली पत्र के साथ संलग्न है, उनसे हम पूर्णतया सहमत है के लिए बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर किये जायेंगे।
14. प्राप्त बोली में किसी बिन्दु पर जानकारी स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में संबधित बोलीदाता को स्पष्टीकरण हेतु लिखा/बुलाया जा सकता है एवं स्पष्टीकरण उपरान्त विभाग किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकृत कर सकता है। जिसके के संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी नही किया जावेगा।
15. कार्यालय द्वारा आमंत्रित बोली को बिना कोई कारण बताये विभाग को बोली निरस्त करने का अधिकार होगा।

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.04.09 16:46:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14703395

बोली डाटा शीट
(03)

बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी।

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत्त संस्थाएं/परियोजनाएं/बोर्ड/समिति/आयोग में प्रशिक्षित ऑपरेटर उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव हो तो निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगाः

क्र.सं.	विभाग/संस्था का नाम	उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षित ऑपरेटर की समयावधि	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाणपत्र का अंक

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation: Superintending Engineer
Date: 2025.04.09 16:46:02 IST
Reason: Approved

बोली प्रारूप

(04)

कार्य दरों का विवरण

कार्यालय में संवेदक के माध्यम से 08 कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाओं (उपकरण रहित) के उपापन के लिये आपूर्ति दर निम्नानुसार होगी :

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूतम मजूदरी सहित प्रस्तावित मासिक दर	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर 13 प्रतिशत	ESI दर 3.25 प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	(उच्च कुशल) संविदा पर कम्प्यूटर ऑपरेटर बिना उपकरण के	आठ	9334					

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 4 की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जाएगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5 से 9 में बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेगी)

क्र. सं.	विवरण	राशि	राशि जमा कराये जाने का प्रकार	संख्या एवं दिनांक
01.	बोली दस्तावेज की शुल्क की राशि	500/—		
02.	बोली प्रतिभूति राशि	19,100/—		

हस्ताक्षर बोलीदाता

मय सील

पता:—

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.04.09 16:46:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14703395

बोली की सामान्य एवं विशेष शर्तें
(05)

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

   बोलीदाता (bidder) के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नही है तो वह तदनुसार वचन–पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।

   सफल बोलीदाता को यह शपथ–पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण–पत्र की प्रति कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।

3. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घंटे से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घंटे से कम अवधि के लिए ली जायेगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

4. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जाएगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जाएगा।

5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मज़दूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

7. 8 कप्यूटर ऑपरेटर्स की सेवाओं हेतु दरें आमन्त्रित की जा रही हैं पर विभाग की आवश्यकता के मध्यनजर इनकी संख्या में कमी की जा सकेगी।

8. 'कार्य दरों के विवरण' के कॉलम 8 में अंकित सर्विस चार्ज की राशि संवेदक द्वारा अंकित की जानी है। इस 'सर्विस चार्ज' की राशि में एजेन्सी के लाभ सहित सभी प्रकार के

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.04.09 16:46:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14703395

ओवहैड चार्जेज़ जैसे कि सुपरविज़न चार्ज, किसी सर्टिफिकेट को प्राप्त करने हेतु दिया गया का शुल्क, परफोरमेन्स सिक्यूरिटी पर देय ब्याज आदि शामिल होंगे।

9. 'कार्य दरों के विवरण' में अंकित समस्त गणना दशमलव के बाद दो अंको तक राऊण्ड ऑफ करके की जाएगी, दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक होने पर दूसरे अंक में एक जोड़ा जाएगा तथा तीसरा अंक 5 से कम होने पर दूसरे अंक में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

10. यदि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सर्विस चार्ज की दरें न्यूनतम व्यय यथा मैनेजमेन्ट फीस व अन्य प्रकार के ओवरहैड चार्जेज़ अदि की युक्तियुक्त राशि शामिल नहीं करने के कारण उचित (Feasible) नहीं पायी जाती हैं तो निविदादाता को औचित्यपूर्ण विस्तृत दर प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है। यदि इस प्रकार प्राप्त औचित्यता (justification) विभाग को स्वीकार्य नहीं पायी जाती हैं तो अगले न्यूनतम निविदादाता की दरें स्वीकार की जा सकेंगी।

11. यदि एक से अधिक निविदादाताओं की न्यूनतम दरें एक समान होने से एक से अधिक L-01 होते हैं तो बोली डाटाशीट में सबसे अधिक अनुभव वाले निविदादाता को L-01 माना जाएगा।

12. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत की जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जाएगा।

13. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

14. राज्य में लागू श्रम अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

15. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवाकर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान नहीं किया जाएगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवाकर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

16. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके निष्पादन/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

17. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपयुक्त संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation: Superintending Engineer
Date: 2025.04.09 16:46:02 IST
Reason: Approved

उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

18. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

19. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ईएसआई करवाने / सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

20. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को वंचित (Debarred) कराने की कार्यवाही करेगी।

21. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेत स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जाएगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

22. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाएगी।

23. संवेदक को राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं प्रदान करने का पूर्व अनुभव आवश्यक है। अतः अनुभव हेतु बोलीदाता द्वारा संबंधित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

24. कम्प्यूटर ऑपरेटर का स्नातक एवं आरएससीआईटी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, उसे वर्ड, एक्सेल व इन्टरनेट ऑपरेशन का पर्याप्त ज्ञान एवं हिन्दी व अंग्रजी टाईपिंग की पर्याप्त स्पीड होनी चाहिए।

25. कम्प्यूटर आपरेटर के **बिना सूचना के अनुपस्थिति की दशा में राशि रूपये 50 प्रतिदिन के आधार पर शास्ति आरोपित की जाएगी।** जो कि संवेदक फर्म से वसूल की जाएगी ना कि कर्मचारी से। पूर्व सूचना पर 1 दिवस का अवकाश स्वीकृत होगा।

26. सफल बोलीदाता को कार्यादेश के 7 दिवस में रू. 500/– के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध सम्पादित कर कम्प्युटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने होंगे।

27. अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 एवं नवीनतम संशोधन के अनुसार होगी।

हस्ताक्षर बोलीदाता

Signature valid

Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.04.09 16:46:02 IST
Reason: Approved

संविदा (अनुबंध) प्रारूप
(06)

यह अनुबन्ध आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष .... और द्वितीय पक्ष कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर के मध्य सम्पादित किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा अनुबन्ध पर संवेदक के माध्यम से 08 कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाओं (उपकरण रहित) के उपापन हेतु निम्नलिखित दरों एवं शर्तों के अनुसार द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायें जावेगें।

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूतम मजूदरी सहित प्रस्तावित मासिक दर	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर 13 प्रतिशत	ESI दर 3.25 प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	(उच्च कुशल) संविदा पर कम्प्यूटर ऑपरेटर बिना उपकरण के	आठ	9334					

अन्य सभी शर्तें बोली दस्तावेज में अंकितानुसार होंगी जो कि इस अनुबन्ध का भाग है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

कार्यालयाध्यक्ष
आर.यू.आई.डी.पी.,जयपुर

1. साक्षी–प्रथम

2. साक्षी द्वितीय

1. साक्षी–प्रथम

2. साक्षी द्वितीय

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.04.09 16:46:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14703395

अपील
(07)

1. **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के तहत** :

प्रथम अपील अधिकारी– सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि
द्वितीय अपील अधिकारी– सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि होगे।

2. **अपील का प्रारूप** :–

   1. धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियो के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।
   2. प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
   3. प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. **अपील फाइल करने के लिए फीस** :–

   (i) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पॉच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिये दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

   (ii) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.04.09 16:46:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14703395

अपील प्रारूप
(08)

फार्म नंबर–1
(नियम 83)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

....................................अपील संख्या...

(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी)...के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियॉ :

   1. अपीलार्थी का नाम :

   2. कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

   3. आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियो) का नाम और पता :

   1.

   2.

   3.

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करे) या अधिनियम के उपबंधो के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिऐ प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता:
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथ पत्रो और दस्तावेजो की संख्या
6. अपील का आधार :

....

....

... (शपथ पत्र द्वारा समर्थित)

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.04.09 16:46:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14703395